भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 219
03.02.2025 को उत्तर के लिए

आरक्षित वनों में रैट-होल कोयला खनन

219. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में रैट-होल कोयला खनन के अवैध कार्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो असम के तिनसुकिया जिले में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्रों और आरक्षित बनों की घटना के बाद की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में मौजूद ऐसी खानों की संख्या और प्रभावित वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन अवैध खानों और इन्हें चलाने वाले कोयला माफिया पर शिकंजा कसने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को इन खानों में होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों की संख्या की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रैट-होल खनन से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को बहाल करने और पुनर्वास के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) रैट होल खनन अवैध है और इसकी रोकथाम और नियंत्रण मुख्य रूप से राज्य/ जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य/जिला प्रशासन को मौजूदा अधिनियमों/नियमों/विनियमों के तहत सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है।

(ख) से (घ) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पूर्वी क्षेत्र बेंच, कोलकाता) ने असम के तिनसुकिया जिले में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में रैट-होल खनन की घटना के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मूल आवेदन संख्या 48/2023/ईजेड के तहत एक मामला

पंजीकृत किया और 22 अगस्त, 2023 को निर्णय पारित किया। इस निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ, असम के तिनसुकिया के उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि संबंधित खदानें पूरी तरह से सुरक्षित हैं एवं रैट-होल खनन की अनुमति नहीं है और जन सामान्य का खदानों में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एनईसीएल) अपने स्वयं के सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से उस क्षेत्र की रखवाली कर रहा है। असम की राज्य सरकार ने अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए कई कार्रवाइयां की हैं, जिनमें ड्रोन निगरानी, धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रतिबंध लगाना, जिला नागरिक प्रशासन एवं पुलिस के साथ बेदखली की कार्रवाई और संयुक्त गश्त एवं अवैध कोयला खनन को नियंत्रित करने के लिए ग्राम सीमा विकास करना शामिल हैं।

(ड.) से (च) राज्य सरकार ने असम के उमरंगशू में अवैध कोयला खदान में दुर्घटना के बाद रैट-होल में फंसे खनन-कर्मियों को बचाने और अवैध रैट-होल खनन पर शिकंजा कसने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। रैट-होल कोयला खनन से प्रभावित पर्यावरण की बहाली के लिए कई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनमें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, अम्लीय नदियों का शोधन, वनीकरण कार्य, वैकल्पिक आजीविका परियोजनाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए वृक्षारोपण, क्षेत्रीय वन्यजीव और जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार की गई हैं।